

सुरक्षा विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (बी) के संदर्भ में सूचना

उप संकश न	मांगी गई जानकारी	अभ्युक्ति
4(b) (i)	संगठन के कार्यो और कर्तव्यो का विवरण	रेलवे संपत्ति और यात्री सुरक्षा की सुरक्षा।
4(b) (ii)	अधिकारियो और कर्मचारियो की शक्तियां और कर्तव्य	रेलवे अधिनियम 1989 (समय-समय पर संशोधित और रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 के तहत अपराधो की तलाशी, गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने के लिए।
4(b) (iii)	पर्यवेक्षण के चैनलो सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	जैसा कि आरपीएफ नियम, 1987 और डीजी/आरपीएफ/नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशो में विस्तृत है।।
4(b) (iv)	कार्यो के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड	जैसा कि आरपीएफ नियम, 1987 और डीजी/आरपीएफ/नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशो में विस्तृत है।
4(b) (v)	इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियो द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड।	क्षे जैसा कि आरपीएफ अधिनियम, 1987 में निर्धारित है, विभिन्न परिपत्रो/निर्देशो के माध्यम से डीजी/आरपीएफ/एनडीएलएस, रेलवे बोर्ड, जोनल मुख्यालय कार्यालय और मंडल कार्यालय द्वारा जारी नीतियां और दिशानिर्देश।
4(b) (vi)	इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजो की श्रेणियो का विवरण।	आरपीएफ अधिनियम के नियमो और विनियमो के निष्पादन से संबंधित सभी रिकॉर्ड, डीजी/आरपीएफ/एनडीएलएस के निर्देश, रेलवे बोर्ड, जोनल मुख्यालय कार्यालय और डीआरएम के स्थानीय आदेश आदि।
4(b)(vii)	किसी भी व्यवस्था का विवरण जो जनता के सदस्यो के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है, इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में।	इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यो द्वारा परामर्श, प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है।

(b)(viii)	<p>बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक बयान जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं। , या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।</p>	<p>ऐसो कोई प्रावधान नहीं है।</p>
4(b)(ix)	<p>अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका।</p>	<p>द.म. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध एससीआर अधिकारियों की सूची।</p>
4(b) (x)	<p>इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित, इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।</p>	<p>वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के ग्रेड को निर्दिष्ट करने का निर्णय लिया गया है।</p>
4(b) (xi)	<p>अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी पैन, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण होता है।</p>	<p>बजट स्थायी नहीं होता है और हर साल प्राथमिकताओं और जरूरत के अनुसार बदलता रहता है।</p>
4(b) (xii)	<p>आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका।</p>	<p>इस विभाग में कोई सब्सिडी कार्यक्रम नहीं हैं।</p>
4(b)(xiii)	<p>इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।</p>	<p>4(1) (बी) (xii) में दी गई जानकारी के अनुसार लागू नहीं है।</p>
4(b)(xiv)	<p>उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है।</p>	<p>भंडारण क्षमता के आधार पर सीमित अवधि के लिए सीसीटीवी फुटेज जिसे राज्य की सुरक्षा और सुरक्षा के हित में नकारा जा सकता है।</p>
4(b) (xv)	<p>जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया है।</p>	<p>ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।</p>

4(b)(xvi))	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।	अपीलीय प्राधिकारी –अ.मं.रे.प्र./विजयवाड़ा रेलवे नं. : कार्यालय फोन नं. : 08662767002 स.ज.सू.अधि. - एएससी/रे.सु.ब./विजयवाड़ा रेलवे नं. कार्यालय नं. : 0866-575942
4(b)(xvii))	इस तरह की अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जा सकता है।	सुरक्षा विभाग के लिए ऐसी कोई अन्य सूचना निर्धारित नहीं है।
4(1)(b) (xviii)	राजस्व विभाग में इनकंबेंसी की स्थिति	लागू नहीं